न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :— 178/23 (धारा 76 भू राज0 अधि0 1956) (RCMS No.2023/198)

1. सूरज बाई
2. ज्ञान बाई
3. जडाव बाई
4. उर्मिला बाई
5. कोशल बाई
6. अनार बाई

पुत्रीयां स्व0 भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी निवासीडी तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।

7. बलरामसिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी निवाडी तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।

.............अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मौसमी देवी पत्नी स्व0 प्रकाश मीना
2. भवानी सिंह पुत्र स्व0 प्रकाश मीना ना0वा0 सरंक्षक जरिये माता मौसमी देवी
3. श्रीमती संजय देवी पत्नी स्व0 दिनेश मीना
4. वीरसिंह पुत्र स्व0 दिनेश मीना ना0वा0 जरिये माता सरक्षक संजयदेवी
5. आरती पुत्री स्व0 दिनेश मीना ना0वा0 जरिये सरंक्षक माता संजयदेवी
   समस्त जातियान मीना निवासीयान जीनापुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर।

.... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर दिनांक 24.05.2022 अन्तर्गत धारा (75 एल.आर.एक्ट) व नामान्तकरण संख्या 363 दिनांक 15.04.2021 वाकै ग्राम निवाडी तह0 सवाईमाधोपुर।

उपस्थितिः—

1. श्री रघुनन्दन सिंह वकील अपीलान्टस।
2. श्री श्याममोहन शर्मा वकील रैस्पोडेन्टस।

निर्णय

दिनांकः— 31.01.2024

उक्त द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 24.05.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि मृतक खातेदार भंवरसिंह की मृत्योपरान्त सरपंच ग्राम पचांयत एण्डवा द्वारा विरासतन नामान्तरकरण संख्या 01 दिनांक 02.01.1998 तस्दीक बलराम के नाम किया गया। जिसके व्यथित होकर अपीलान्ट वगैरह के द्वारा उपजिला कलक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष अपील पेश की गई। इस अपील में उपजिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश दिनांक 30.12.2014 से अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुये नामान्तरकरण संख्या 01 दिनांक 02.01.1998 जो

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

सरपंच ग्राम पचांयत एण्डवा द्वारा तस्दीक किया गया था, को निरस्त करते हुये तहसीलदार सवाईमाधोपुर को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि मृतक खातेदार भंवर सिंह पुत्र जतनसिंह निवासी निवाडी के वारिसान की जांच करके अपीलान्ट सूरजबाई वगैरह का नाम भी बलराम वगैरह के साथ मृतक भंवरसिंह की आराजीयात का नामान्तरकरण खोले जाने की कार्यवाही करें। उपजिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के रिमाण्ड आदेश दिनांक 30.12.2014 की पालना में तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा मृतक भंवरसिंह का विरासतन नामान्तरकरण संख्या 363 दिनांक 15.04.2021 स्वीकृत किया गया। उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश की पालना में तहसीलदार की ओर से स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 363 दिनांक 15.04.2021 के विरूद्ध रैस्पोडेन्टस मौसमी देवी वगैराह के द्वारा अपील पेश की गई। तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण में बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.5.2022 पारित करते हुये इस आशय का आदेश पारित किया कि.........''यद्यपि आदेश जैर अपील उपजिला कलक्टर स0मा0 के निर्णय दिनांक 30.12.2014 की पालना में फैसल किया गया है, किन्तु उक्त नामान्तरकरण दौराने स्थगन दर्ज फैसल किया गया है तथा जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 में उक्त स्थगन का अंकन हो रहा था तथा स्थगन से संबधित प्रकरण में तहसीलदार स्वयं पक्षकार था। तहसीलदार सवाईमाधोपुर से तलब की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा स्थगन की जानकारी अगस्त 2021 में होना बताते हुये जानकारी के अभाव में उक्त नामान्तरकरण दौराने स्थगन दर्ज फैसल होना अंकित किया है। किन्तु जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में स्थगन का अंकन एवं प्रकरण में स्वयं तहसीलदार पक्षकार होने से उक्त स्थगन की जानकारी तहसीलदार को नहीं हो ऐसा संभव नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आदेश जैर अपील नामान्तरकण संख्या 363 दिनांक 15.04.2021 दौराने स्थगन दर्ज फैसल किया गया है जो विधिसम्मत नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है ''......... अर्थात जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2022 से रिमाण्ड आदेश की पालना में खोला गया नामान्तरकण संख्या 363 दिनांक 15.04.2021 खारिज कर दिया गया। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 के विरूद्ध अपीलान्टस सूरजबाई वगैरह के द्वारा न्यायालय हाजा में उक्त अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। तहत पत्रावली एवं रैस्पोडेन्टस को तलब किया गया। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2022 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्टस के पिता भंवरसिंह की खातेदारी की आराजी जो ग्राम निवाडी तहसील व जिला सवाईमाधोपुर में स्थित है का भंवनसिंह का निधन हो जाने के बाद ग्राम पंचायत एण्डवा द्वारा विरासत का

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नामान्तरकरण अपीलान्टस संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज नहीं कर मात्र अपीलान्ट संख्या 7 के नाम दर्ज करते हुये नामान्तरकरण संख्या 01 दिनांक 02.01.1998 तस्दीक कर दिया जिसकी जानकारी होने पर अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 6 ने ग्राम पचांयत एण्डवा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1 दिनांक 02.01.1998 की अपील उप जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय में पेश की थी। जिसे उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने निर्णय दिनांक 30.12.2014 के द्वारा अपील अपीलान्टस स्वीकार कर ग्राम पंचायत एण्डवा द्वारा खोले गये नामान्तरकरण को निरस्त करते हुये तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया कि मृतक भंवरसिंह के वारिसान की जांच करके अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 6 का नाम भी रैस्पोडेन्ट (अपीलान्ट संख्या 7 के साथ) मृतक भंवरसिंह की आराजीयात का नामान्तरकरण खोले जाने की कार्यवाही करें। उक्त निर्देशों की पालना में तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने जांच कर नामान्तकरण संख्या 363 दिनांक 14.04.2021 को अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 7 के हक में तस्दीक किया। उपजिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2014 के विरूद्ध किसी भी तरह का स्थगन आदेश नहीं था। इसलिए तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किया गया था, परन्तु रैस्पोडेन्ट की ओर से उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय में आधारहीन तथ्यों पर अपील पेश की। जिसे मेन्टनेबल नहीं होने के बाबजूद अदालत मातहत में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.05.2022 के द्वारा स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा उपजिला कलक्टर स0मा0 के निर्णय दिनांक 30.12.2014 की पालना में नामान्तकरण खोला गया था। उक्त नामान्तकरण को अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2022 के द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से निरस्त किया गया है। अतः अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा उप जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पारित निर्णय की पालना में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 363 दिनांक 14.04.2021 की अपील की सुनवाई का अधिकार जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को नहीं होकर अदालत हाजा को था, क्योंकि रैस्पोडेन्ट की ओर से उपजिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 30.12.2014 की अपील अदालत हाजा में पेश की हुई थी। इसलिऐ अदालत मातहत द्वारा क्षेत्राधिकार के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व रैस्पोडेन्ट संख्या 3 ने आपस में साज करते हुये अदालत हाजा में उनकी ओर से पेश की गई अपील में स्थगन प्राप्त नहीं होने पर एक वाद पत्र बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18.12.2020 को उप जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय में मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अपीलान्टस को पक्षकार बनाये बिना मनगंढत एवं गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय को गुमराह करते हुये पेश किया गया। जिसमें रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रैस्पोडेन्ट संख्या 3 को दिनांक 05.03.2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा कर रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाई रखने का आदेश पारित करवा लिया। इस आदेश के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर स0मा0 ने मनमाने ढंग से जिसमें अपीलान्टस पक्षकार नहीं थे, में

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उप जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 30.12.2014 की पालना में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 363 दिनांक 14.04.2021 को विधि विरूद्ध बिना किसी क्षेत्राधिकार के मनमाने ढंग से खारिज करने में अहम भूल की है इसलिऐ अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि तहत अदालत ने इस बिन्दु पर भी गौर नहीं किया कि जैर नामान्तरकरण संख्या 363 दिनांक 14.04.2021 उप जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 30.12.2014 की पालना में खोला गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 के मध्य आपसी विवाद जिसमें अपीलान्टस को पक्षकार नहीं बनाया है और ना ही उप जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 30.12.2014 की अपील में कोई स्थगन है। इसके बाबजूद अपीलाधीन निर्णय बिना विवेक के उपयोग किये पारित किया है, जो कि कानूनी प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी गौर नहीं किया कि जैर नामान्तरकण संख्या 363 दिनांक 14.04.2021 विरासत का नामान्तरकरण है और उपजिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 30.12.2014 के निर्णय की पालना में बाद जांच तहसीलदार स0मा0 द्वारा खोला गया है और उपजिला कलक्टर सवाईमाधोपुर का निर्णय आज दिनांक तक बहाल है फिर भी रैस्पोडेन्टस की आपसी साज से बिना अपीलान्टस को पक्षकार बनाये बैक डोर से स्थगन प्रांप्त किया गया है। जबकि दोनों पक्ष उप जिला कलक्टर के पूर्व निर्णय दिनांक 30.12.2014 से बाधित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.05.2022 निरस्त किया जावे तथा उपजिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 30.12.2014 की पालना में तहसीलदार की ओर से खोले गये विरासत के नामान्तकरण संख्या 363 दिनांक 15.04.2021 को यथावत रखा जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2022 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण उचित है। उक्त निर्णय जिला कलक्टर के द्वारा क्षेत्राधिकार के तहत ही पारित किया गया है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय नामान्तरकरण संख्या 363 दिनांक 15.04.2021 एल.आर.एक्ट की धारा 135(1) के तहत खोला गया था तथा एल.आर.एक्ट की धारा 135(1) के तहत खोले गये नामान्तकरण की अपील जिला कलक्टर न्यायालय में ही किये जाने के प्रावधान हैं। तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण संख्या 363 दिनांक 15.04.2021 स्वीकृत किये जाने से पूर्व मौका कब्जे व राजस्व रिकार्ड की जांच नहीं की गई। नामान्तरकरण खोलते समय नामान्तरकरण नियम 125 से 131 की भी पालना नहीं की गई। नामान्तरकरण में वर्णित आराजीयात रैस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि को रैस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट संख्या 7 7 बलराम सिंह से क्रय किया था। 'विवादित भूमि को लेकर रैस्पोडेन्ट मौसमी देवी व संजय देवी के बीच बंटवारे का दावा उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को दिनांक 22.12.2020 को स्वीकार कर राजस्व

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया था। उक्त स्थगन आदेश का अंकन जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में हो रहा है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 05.03.2021 को उनके द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को कनफर्म भी कर दिया था। उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के न्यायालय में लम्बित वाद व स्थगन संबंधी प्रार्थना पत्र में तहसीलदार स्वयं पक्षकार थे। स्थगन आदेश होने के बाबजूद भी तहसीलदार द्वारा अपीलान्टस के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने पर रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत की गई अपील में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 24.05.2022 के द्वारा उक्त नामान्तकरण को निरस्त करने का आदेश दिया है, जो की विधि सम्मत है। इसके अलावा भी जब रैस्पोडेन्ट विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार थे तो उन्हें बिना सुने तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण स्वीकार किया जाना उचित नहीं था। इसके अलावा जिस आदेश की पालना में उक्त नामान्तकरण स्वीकार किया गया था। उस आदेश की अपील अदालत हाजा में जैरकार होने के संबंध में तहसीलदार कार्यालय को सूचना दी जा चुकी थी। इसके बाबजूद अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 363 स्थगन आदेश के प्रभाव में रहते हुये गलत रूप से स्वीकार किया गया है, जिसे जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.05.2022 के द्वारा नियमानुसार खारिज किया है। यह सही है कि उप जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 30.12.2014 की पालना में उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था, किन्तु उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय से रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने का स्थगन आदेश होने, जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में उक्त स्थगन आदेश का अंकन होने व स्थगन से संबधित प्रकरण में तहसीलदार स्वयं पक्षकार होने के बाबजूद अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 363 दिनांक 15.04.2021 विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकार किया गया है। इसके अलावा तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा स्थगन की जानकारी अगस्त 2021 में होना बताते हुये जानकारी के अभाव में उक्त नामान्तरकरण दौराने स्थगन दर्ज फैसल होना अंकित किया है। किन्तु जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में स्थगन का अंकन एवं प्रकरण में स्वयं तहसीलदार पक्षकार होने से उक्त स्थगन की जानकारी तहसीलदार को नहीं हो ऐसा संभव नहीं है। उक्त सभी तथ्यों को रिकार्ड पर लेते हुये तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2022 को विधि सम्मत पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.05.2022 यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से रैस्पोडेन्ट को उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में पक्षकार बनाया गया था। उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 30.12.2014 के विरूद्ध रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत हाजा में अपील पेश की हुई है। जिसमें किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नहीं है। दूसरी ओर रैस्पोडेन्ट की ओर से उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में पेश किये गये बंटवारे के दावे व प्रार्थना

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पत्र में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाकर एकतरफा में स्थगन आदेश प्राप्त किया है। जिससे अपीलान्ट के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता है। तहसीलदार द्वारा उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 30.12.2014 में दिये गये निर्देशों की पालना में अपीलाधीन नामान्तकरण खोला गया है। जिस समय नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। उस समय तक उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 30.12.2014 के विरूद्ध किसी तरह का कोई स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय का नहीं था। इसलिए तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.05.2022 निरस्त किया जावे तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 363 दिनांक 15.04.2021 को यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट की ओर से तहसीलदार सवाई माधोपुर के द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 363 दिनांक 15.04.2021 के विरूद्ध जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश की गई। जिसमें अपीलान्टस को पक्षकार बनाया गया। विद्वान जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस का उल्लेख अपीलाधीन निर्णय में करने के बाद यह माना है कि तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 30.12.2014 की पालना में स्वीकृत किया गया है, किन्तु उक्त नामान्तकरण दौराने स्थगन दर्ज फैसल किया गया है। जिसका जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 में अंकन हो रहा है तथा स्थगन से संबंधित प्रकरण में तहसीलदार स्वयं पक्षकार था। तहसीलदार की ओर से मंगवाई गई तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी स्थगन आदेश की जानकारी अगस्त 2021 में होने व जानकारी के अभाव में उक्त नामान्तकरण दौराने स्थगन फैसल दर्ज होना अंकित किया है, किन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 में स्थगन का अंकन होने व प्रकरण में स्वयं तहसीलदार के पक्षकार होने के बाबजूद स्थगन की जानकारी नहीं हो ऐसा संभव नहीं होना मानकर यह माना है कि तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 363 दिनांक 15.04.2021 दौराने स्थगन फैसल किया गया है, जो विधिसम्मत नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय में हमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि रैस्पोडेन्टस की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत दस्तावेजात व जमाबन्दी से यह स्पष्ट है कि जिस दिन तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। उस दिनांक को उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से विवादित भूमि के संबंध में जारी स्थगन आदेश प्रभाव में था। जिसकी पुष्टि स्वयं तहसीलदार ने जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को भिजवाई गई तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 04.05.2022 में भी की है। जिसमें उल्लेख किया है कि उप जिला कलक्टर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर
संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

सवाई माधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 05.03.2021 को यथास्थिति बनाए रखने का स्थगन आदेश पारित किया गया था। उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय से आदेश दिनांक 05.03.2021 के द्वारा विवादित भूमि की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने का स्थगन आदेश होने व नामान्तकरण तस्दीककर्ता अधिकारी तहसीलदार सवाई माधोपुर उपरोक्त प्रकरण में पक्षकार होने के बावजूद स्थगन आदेश प्रभावी रहने के दौरान नामान्तकरण तस्दीक किये जाने को उचित नहीं माना जा सकता है। जहां तक वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस में दिये गये इस तर्क का प्रश्न है कि उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 30.12.2014 की पालना में तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण संख्या 363 दिनांक 15.04.2021 को खोला गया है तो विद्वान जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय में यह माना है कि यद्यपि 'उक्त नामान्तकरण उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय की पालना में खोला गया है, परन्तु उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय से ही एक अन्य प्रकरण में स्थगन होने के बावजूद नामान्तकरण स्वीकृत किया जाना उचित नहीं है। इसी तरह वकील रैस्पोडेन्ट का यह तर्क की तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तकरण की अपील जिला कलक्टर न्यायालय में नहीं होकर अदालत हाजा में होनी चाहिए तो इस संबंध में वकील अपीलान्ट द्वारा यह तर्क दिया गया कि अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा उन्हें किसी प्रकार का कोई नोटिस आदि नहीं दिया गया है। इसलिए तहसीलदार की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण को एल.आर.एक्ट की धारा 135(1) के तहत मानते हुए जिला कलक्टर न्यायालय में अपील पेश की गई है। इसलिए वकील रैस्पोडेन्ट का उक्त तर्क भी सारहीन हो जाता है। इसके अलावा भी सक्षम न्यायालय का विवादित भूमि के संबंध में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिये जाने व नामान्तकरण खोले जाने की दिनांक को उक्त स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण स्वीकृत किये गये नामान्तकरण को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.05.2022 में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किये जाने का औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2022 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर